फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

सरोज बनाम प्रफुल्ल

किस्म मुकदमा 225 आरटीए

नम्बर 69 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.12.18	अभिभाषक अपीलांट श्री सुरेश चन्द्र व्यास उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो तांबे मियांद पंजीबद्व हो। विद्वान अभिभाषक अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया गया कि वादगत् भूमि तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 1 में तादादी 6.32 हेक्टर व खसरा नम्बर 2 में तादादी 6.36 हेक्टर कुल किता 2 में रकबा तादादी 12.6800 हेक्टर में से 2/3 हिस्सा व खसरा नम्बर 28/4 में तादादी 6.3300 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 3 में रकबा 14.7833 हेक्टर भूमि स्थिति है। उक्त भूमि अपीलांट द्वारा तत्कालीन खातेदार सुरेन्द्र कुमार अरोड़ा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी। इस प्रकार अपीलांट वादगत् भूमि का बोना फाईड परचेजर है। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के खातेदारी अधिकारों की धोषणा बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया तथा उक्त वादपत्र के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की इस्तदुआ की गई तथा प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपीलांट की खरीदशुदा भूमि पर येन–केन–प्रकारेण कब्जा करने के प्रयास में है। उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट की भूमि के चिपती आराजीराज भूमि पर भी कब्जा करने के प्रयास किये गये है। इस संबंध में संबंधित तहसीलदार द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एफआरईआर भी दर्ज की गई। जिस पर तफतीश जैरकार है।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

चूंकि वादगत् भूमि की अपीलांटा बोनाफाईड परचेजर है तथा वादगत् भूमि पर हक व हकूकों हेतु अदालत मातहत के समक्ष वाद जैरकार है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि वे प्रकरण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए वादगत् भूमि के बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं पर अपना विवेचन करते हुए आदेश पारित किये जाने चाहिए थे। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित किये बिना पत्रावली में नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये है। अदालत मातहत का उक्त आदेश धारा 212 आरटीए में उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया आदेश है।

चूंकि वादगत् भूमि की अपीलांटा बोना फाईड परचेजर है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि वादगत् भूमि को आगे रहन, बैय व मुन्तकिल किया गया तो प्रकरण में अनावश्यक पेचिदगियॉ बढ़ेंगी। जिसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट को कारित होगी। अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान करावें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं करते हुए पत्रावली में मात्र नोटिस जारी करने के आदेश प्रसारित किये गये है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि का अपीलांट बोनाफाईड परचेजर है जिसके खातेदारी अधिकारों की धोषणा हेतु अदालत मातहत के समक्ष वाद जैरकार है। प्रस्तुत मामलें में अपीलांटा द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर
सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे उपलब्ध प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण में मात्र नोटिस जारी करने के आदेश प्रदान किये गये है। जो स्पष्ट रूप से विधि की मंशा के विपरीत की गई कार्यवाही परिलक्षित होती है।

चूंकि अपीलांटा वादगत् भूमि की बोनाफाईड परचेजर है तथा अपीलांटा के खातेदारी अधिकारों की धोषणा का वाद अदालत मातहत के समक्ष जैरकार है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में वादगत् भूमि तहसील कोलायत के खसरा नम्बर 1 में तादादी 6.32 हेक्टर व खसरा नम्बर 2 में तादादी 6.36 हेक्टर कुल किता 2 में रकबा तादादी 12.6800 हेक्टर में से 2/3 हिस्सा व खसरा नम्बर 28/4 में तादादी 6.3300 हेक्टर इस प्रकार कुल किता 3 में रकबा 14.7833 हेक्टर भूमि के मौके की यथास्थिति कायम रखते हुए अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं अर्थात प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना विवेचन अंकित करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0 राजेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner